न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 19/2023

साहबराम आयु 49 वर्ष पुत्र मलूराम जाति बावरी निवासी सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

– प्रार्थी

1. सोहनलाल पुत्र मलूराम जाति बावरी निवासी सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. चेतराम पुत्र मलूराम जाति बावरी निवासी सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. बेगाराम पुत्र मलूराम जाति बावरी निवासी सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान मरूधरा ग्रामिण बैक शाखा सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. कृषि प्रवेक्षक अधिकारी सूरावली तहसोल पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।

–अप्रार्थीगण––

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिमाषकगण ::–

1. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल — प्रार्थीगण
2. श्री मदन लाल पारीक — अप्रार्थी सं. 1 ता 3
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। — अप्रार्थी सं. 4

–:: निर्णय :–

दिनांक:– 19/3/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी की ओर उपरोक्त अनवान का वाद श्रीमान न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा चूका है जिसमे प्रार्थी को अपनी सफलता की पूर्ण आशा व ठोस आधार है ।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की सयुक्त खाते की तहसील पीलीबंगा के चक 41 एल एलडब्ल्यू खाता सं. 94 प न. 13/243 (70) के किला न. 1, 10 व प.न. 14/242(67) के किलान. 21 ता 24 तथा प. न. 14/243(69) के किला न. 1 ता4, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/0.228, 6/2/0.025, 7, 8, 9, 13 एवं प. न. 14/244 (72) के किला न. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 21 की कुल 6.325 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमे प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा दर्ज है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता मलूराम की भूमि थी जो मलूराम की मृत्यू के पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 व मलूराम की पुत्रीयो को ब हिस्सा बराबर मे प्राप्त हुई । मलूराम की पुत्रीयो द्वारा प्रश्नगत भूमि मे से अपना हक त्याग कर दिया होने से प्रश्नगत भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को ब हिस्सा बराबर मे प्राप्त हुई है जिसका प्रार्थी व अप्रार्थीगण ब हिस्सा बराबर के रिकार्डड खातेदार है। प्रश्नगत सयुक्त खाते की भूमि मे अप्रार्थी सं. 1 मदन लाल व अप्रार्थी सं. 3 सयुक्त खाते की भूमि मे अपने हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी सं. 4 से ऋण प्राप्त किया हुआ है

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:04:23 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की सयुक्त खाते की भूमि है जिसका कभी किसी रूप मे कोई विभाजन नही हुआ है। उक्त भूमि सभी सहखातेदारो द्वारा काश्त की जा रही है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि अप्रार्थी स. 1 से 3 लालची प्रवृति के व्यक्ति है जो प्रश्नगत भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट करने के आशय से प्रश्नगत भूमि मे से उपयोग मिटटी खोदकर उसे विक्रय करने व बिना कोई भूमि का विभाजन करवाये प्रश्नगत भूमि मे से अच्छी किस्म की भूमि प्राप्त करने के आशय से चक 41 एल एल डब्ल्यु के प. न. 14/243 के किला न. 4 व 5 मे जबरन खडडा खोदकर खडडे की मिटटी विक्रय करके उसको डिग्गी का रूप देने के लिये प्रयासरत है। कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की सयुक्त खाते की भूमि होने से अप्रार्थी सं. 1 से 3 को प्रश्नगत भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपना खाता अलग करवाने से पूर्व प्रश्नगत भूमि की प्रकृति (नेचर) को परिवर्तित करने के लिये प्रयासरत है। जिसके लिये अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने उक्त भूमि के प. न. 14/243 के किला न. 4 व 5 मे से खडडे खोदने चालू कर दिये है। 6. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की सयुक्त खाते की भूमि होने से मुझ प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि मे 1/4 हक व हिस्सा निहित होने से प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का अच्छी–मन्दी अनुसार रास्ता खाले की सुविधा को ध्यान मे रखते हुये बटवारा करवाकर अपना खाता अप्रार्थीगण से अलग करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 प्रश्नगत भूमि के विभाजन से पूर्व ही प्रश्नगत भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करने के आशय से तथा प्रश्नगत भूमि मे से अच्छी–अच्छी भूमि बंटवारे मे प्राप्त करने के दूर्भावनापूर्वक आशय से भूमि मे खडडे खोदकर भूमि की उपजाऊ मिटटी विक्रय करके अप्रार्थी सं. 5 से बिना किसी अधिकारिता के डिग्गी पर अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रयासरत होने से प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तूलन व अपूर्णिय क्षति के तीनो बिन्दू होने से प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की वादकालिन निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 प्रश्नगत भूमि का विधिवत विभाजन से पूर्व चक 41 एल एल डब्ल्यु के प. न. 14/243 के किला न. 4 व 5 मे खडडे आदि खोदकर निर्माण करने व भूमि की उपजाऊ मिटटी विक्रय करने तथा प्रश्नगत भूमि की प्रकृति मे किसी प्रकार से परिवर्तन करने से निषेध रहे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की वाद कालिन निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी सं 1 ता 3 चक 41 एल एल डब्ल्यु के प. न. 14/243 के किला न. 4 व 5 मे खडडे आदि खोदकर कोई निर्माण करने व भूमि की उपजाऊ मिटटी विक्रय करने तथा प्रश्नगत भूमि की प्रकृति मे किसी प्रकार से कोई परिवर्तन करने से निषेध रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता प्रार्थी बहस वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु बहस सुनी गई प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलत प्रार्थी के पक्ष में होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब अप्रार्थी संख्या 1 प्रस्तुत किया गया है। शामिल पत्रावली है। जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में दर्ज यह तथ्य की उक्त अनवान का दावा श्रीमान न्यायालय में पेश हो चुका है की हद तक स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थीगण की कामयाबी की कोई सम्भावना नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:04:23 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक राजस्व अभिलेख सही है। कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक राजस्व अभिलेख सही है। कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 कतई गलत है पिता श्री मलूराम की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष पूर्व हम चारों भाईयो ने आपसी सहमति से रास्ता खाला की सुविधा के हिसाब से घरू बंटवारा कर लिया एंव इसी घरू बंटवारा मुताबिक ही हम चारों अलग काबिज होकर अपने हिस्सा की भुमि पर काश्त करते आ रहे है। इस प्रश्नगत भुमि के प.न. 14/243 (69) किला न. 1 के पश्चिम दिशा के मु.न. में किला न. 5–6–15–16–25 में खाला व रास्ता चालु है। प.न.14/243 के किला न. 1 के चिपते ही

सहायक कलक्टर एवं
अधिकारी पीलीबंगा

पश्चिम दिशा में खाला व खाला के चिपते ही पश्चिम दिशा में रास्ता स्वीकृत व चालु है। इस स्वीकृत व चालू रास्ता के कि.न. 5 से प्रशनगत भुमि के प.न. 14/243 कि.न. 1 के दक्षिण दिशा तक खाला के उपर से पुलिया बनी हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी स. 1 इस स्वीकृत रास्ता के होकर खाला के उपर बनी पुलिया से प.न. 14/243 के किला न. 1/.013, 2/013, 3/003 की दक्षिण दिशा व 7/.013, 8/013 हैक. उत्तर दिशा रास्ता से होकर अपनी भुमि में प्रवेश करते है। इस कि.न. 1–2–3–7–8 में रास्ता घरू तौर पर कृषि भूमि में आने जाने के लिये है। रास्ता की भूमि को छोड़कर शेष नहरी भुमि का चारों भाईयो ने मुताबिक हिस्सा बंटवारा किया हुआ है। प्रशनगत भुमि में 0.050 हैक. खाला दर्ज है जो अप्रार्थी सोहनलाल को प्राप्त हुआ है इस भुमि में 0.055 हैक. उक्त रास्ता चालु है। इस प्रकार खाला की भुमि काटकर शेष 6.270 हैक नहरी भूमि है जिसमें प्रत्येक का 1/4 हिस्सा यानि 1.5675 हैक. नहरी भुमि का हिस्सा है जिसका निम्न प्रकार से घरू बंटवारा किया हुआ है– अप्रार्थी चेतराम को चक 41 एल.एल.डब्लयु. प.नं. 14/242 (67) किला न. 21 ता 24 की 1.012 हैक. नहरी व प.न. 14/244 (72) किला न. 20, 21/0 506, 11/.050 की 0.556 हैक. नहरी दोनो प.न. की कुल 1.568 हैक. नहरी अप्रार्थी बेगाराम को चक 41 एल.एल.डब्लयु. प.नं. 14/243 (69) किला न. 4 / 253, 7 / 240 नहरी, 013 है. रास्ता, 8/ 240 नहरी, 013 है. रास्ता, 13/253 की 1.012 हैक. नहरी मय रास्ता (986 हैक. नहरी, 0.026 हैक. रास्ता) व प.न. 14/244 (72) किला न. 2–9/506, 11/075 की 581 हैक. नहरी इस प्रकार कुल 1.567 हैक्रू नहरी, .026 हैक. रास्ता कुल 1.593 हैक. नहरी मय रास्ता। अप्रार्थी सं. 1 सोहनलाल को चक 41 एल.एल.डब्लयु. प.नं. 13/243 (70) किला न. 1–10/0.506 हैक. नहरी, प.न. 14/243 (69) किला न. 5/1, 5/2, 6/1, 6/2 की 506 हैक. नहरी मय खाला, प.न. 14/244 (72) किला न. 1–10/.506, 11/050 की 556 हैक. नहरी, इस प्रकार कुल 1. 568 हैक. नहरी मय खाला

प्रार्थी साहबराम को चक 41 एल.एल.डब्लयु. प.नं. 14/243 (69) किला न. 1/.240 नहरी, .013 है. रास्ता, 2/240 नहरी, .013 है. रास्ता, 3/250, . 003, 9/253 हैक् की 0.983 हैक नहरी 0.029 हैक. रास्ता, प.न. 14/244 (72) किला न. 12–19/506, 11/078 की 584 हैक. नहरी कुल 1.567 हैक. नहरी, .029 हैक. रास्ता कुल 1.596 हैक. नहरी मय रास्ता। इसी प्रकार से सभी पक्षकारान अपनी अपनी भुमि पर काबिज काश्त है और अलग अलग काश्त कर रहे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 कतई मिथ्या रचित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मुताबिक घरू बंटवारा जबाव प्रार्थना पत्र की दफा 4 अनुसार अपनी अपनी भुमि पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी ने अपनी भूमि को समतल व उपजाउ बनाया है। बंटवारा में प्राप्त भूमि में मौके पर फसल काश्त की हुई हैं। अप्रार्थीगण द्वारा इस भूमि में न ही तो खडे खोदे जा रहे है और न ही इस भूमि की प्रकृति को परिवर्तन किया जा रहा है। प्रार्थी ने समस्त तथ्य प्रार्थना पत्र को रंगत देने की नियत से मिथ्या अंकित किये है। इसके विपरीत प्रार्थी द्वारा चालू रास्ता पं.नं. 14/243 किला नं. 1, 2, 3, 7, 8 में से किला नं. 2 में आड बनाकर इस रास्ता को बंद कर दिया है। यह रास्ता बंद करने पर अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] खण्ड अधिकारी पीलीबंगा को एक प्रार्थना पत्र रास्ता चालु करने हेतु दिनांक [illegible] यह प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान तहसीलदार पीलीबंगा [illegible] प्रेषित किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा ने इसे नायब तहसीलदार गोलूवाला को प्रेषित किया। नायब तहसीलदार गोलूवाला ने दिनांक 21.02.2023 को पटवारी हल्का सुरांवाली को जांच व रिपोर्ट हेतु प्रेषित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.02.2023 को बिन्दुवार रिपोर्ट की गई जिसमें चालु रास्ता के किला नं. 2 में साहबराम द्वारा जलमार्ग बनाकर बन्द कर दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:04:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को कोई अपिरेमय क्षति नहीं हो रही है तथा प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में ना होकर मुझ अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से श्री संजीव आहुजा अधिवक्ता हाजिर आये वकालतनामा प्रस्तुत किया गया शामिल वाद है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 का जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब बंद किया जाता है। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली में उभय पक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गई। वाद ग्रस्त रकबा पैत्रक कृषि भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी पक्ष के हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है दिनांक 02.02.2023 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नही बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 02.02.2023 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलास दिनांक 19/3/25 को सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:04:23 IST
Reason: SelfAttested